न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – मोहम्मद ताहिर, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या : 13 / 20

1,3 कालूलाल, कैलाशचन्द, राम विलास पुत्रान गोपाल

4,5 गीता बाई, मोहनी बाई पुत्रियॉ गोपाल

6 जगन्नाथी बाई पत्नी स्व. गोपाल

जाति मीना, निवासीगण ग्राम अरल्या, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– प्रार्थीगण

बनाम

1 बाबूलाल आत्मज कान्हा, जाति मीना, निवासी ग्राम अरल्या, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

अप्रार्थी

एवं

प्रकरण संख्या : 14 / 20

1 बाबूलाल आत्मज कान्हा उर्फ कन्हैयालाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरनिया, तह.लाडपुरा, कोटा

– प्रार्थी

बनाम

1–3 कालूलाल, कैलाशचन्द, रामविलास उर्फ बनराम पुत्रान गोपाल
जाति मीणा, निवासीगण ग्राम अरनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

4 मोहनी बाई पुत्री गोपाल पत्नी रामनिवास, जाति मीणा, निवासी ग्राम भोजपुरा, तहसील लाडपुरा, कोटा

5 गीता बाई पुत्री गोपाल पत्नी चौथमल, जाति मीणा निवासी ग्राम जालखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

6 जगन्नाथी पत्नी स्व. गोपाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

7 बसन्ती बाई पुत्री कन्हैयालाल, पत्नी रामदयाल, निवासी ग्राम बनियानी, तहसील लाडपुरा, कोटा

8 उप पंजीयक प्रथक, कलेक्ट्री परिसर, नयापुरा, कोटा

9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

दिनांक : 04.11.2020

उपस्थिति : श्री मुकेश मीणा, अभिभाषक बाबुलाल
श्री महावीर सेन, अभिभाषक कालुलाल वगैरहा

निर्णय

1. उपरोक्त दोनों प्रकरणों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किये गये।

2. *प्रथम प्रकरण (संख्या 13/20) में प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि –*

○ ग्राम अरल्या पटवार हल्का गोदल्याहेडी, तहसील लाड़पुरा में प्रार्थीगण के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की निम्न खसरा नम्बरान, खसरा नम्बर 63 की 0.39 हैक्टर, खसरा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

नम्बर 148/409 की 1.16 हैक्टर, कुल 2 किता की 1.55 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। जिसके प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है तथा काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थी का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है तथा कभी भी अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं रहा है। और न कभी प्रार्थीगण ने बेचान व अन्तरण ही की है। फिर भी उपरोक्त भूमि पर अप्रार्थी जबरन कब्जा करने पर आमादा है।

- अप्रार्थी के खाते की जमीन ग्राम अरल्या में स्थित है जिसमें से खसरा नम्बर 148 की 1.16 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के नजदीक ही स्थित है। किन्तु अप्रार्थी प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि को अवैधानिक रूप से कब्जे मे लेकर अपने ताकत के बल पर प्रार्थीगण को उपरोक्त भूमि से बेदखल करने व उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने पर आमादा है, जिसका अप्रार्थी को कोई अधिकर प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी दिनांक 04.06.2020 को वादग्रस्त भूमि पर आया तथा प्रार्थीगण को धमकी दी कि वह उक्त भूमि पर प्रार्थीगण को हंकाई नहीं करे देगा तथा वह स्वयं काश्त करके रहेगा व प्रार्थीगण को बेदखल कर देगा।
- यदि अप्रार्थी को उक्त कृत्य से नहीं रोका गया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेंगी।
- वाद कारण दिनांक 04.06.2020 को पैदा हुआ जब कि अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को उक्त भूमि के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा किया व भूमि को हंकाई करने से इन्कार करते हुये बेदखल करने की तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत पैदा करने की धमकी दी।
- अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय है कि प्रसारित की जावे कि अप्रार्थी, प्रार्थीगण को ग्राम अरल्या तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 63 की 0–39 हैक्टर, खसरा नम्बर 148/409 की 1–16 हैक्टर कुल 2 किता की 1–55 हैक्टर भूमि से बेदखल नहीं करे, प्रार्थीगण के कब्जे व उपयोग व उपभोग में मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करें। प्रार्थीगण को उक्त भूमि पर काश्त करने से नहीं रोके। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न अपने प्रतिनिधि द्वारा करावे।

3. *द्वितीय प्रकरण (संख्या 14/20) में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि –*

- प्रार्थी के पिता कन्हैयालाल एवम अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 6 के पिता व पति आपस मे सगे भाई थे तथा उनके पिता स्व. गिरधारी जी थे और गिरधारी जी के तीन सन्तानें नन्दलाल कन्हैयालाल व गोपाल थे। जिनका स्वर्गवास हो चुका है। नन्दलाल के वारिसान का प्रार्थी के पिता एवम अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 6 के पिता एवम पति से 50–60 वर्ष पूर्व ही बंटवारा हो चुका था जिससे नन्दलाल प्रथक रूप से अपनी जमीन पर कब्जा काश्त करते हुये चला आ रहा था। इस प्रकार नन्दलाल व उसके वारिसान का प्रार्थी एवम अप्रार्थी के पिता तथा उनके वारिसान से कोई वाद विवाद नहीं है।
- प्रार्थी के स्वर्गीय पिता कन्हैयालाल तथा अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 6 के पति एवम पिता के कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 59 नया खाता संख्या 63 पुरानी के खसरा नम्बर 148 के रकबा 1.1600 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम व खसरा नम्बर 237 की रकबा 0.0600 हैक्टर खेड़ा एवम खसरा नम्बर 261 की रकबा 0.6500 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय वाके ग्राम अरनिया, पटवार हलका गोदल्याहेडी, भू0अभि0नि0क्षेत्र ताथेड़, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित चली आ रही है, जिसमें से खसरा नम्बर 237 की रकबा 0.0600 हैक्टर खेड़ा वाके ग्राम अरनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को प्रार्थी ने मेहनत व काफी रूपये खर्च कर कब्जे काश्त के योग्य उपजाउ बनाकर अपने खाते दर्ज करवायी, जो भूमि प्रार्थी एवम अप्रार्थी की पेतृक सम्पत्ति से अलग है तथा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

साथ ही खाता संख्या नया 8 पुराना 16 के खसरा नम्बर 63 की रकबा 0.3900 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम व खसरा नम्बर 148/409 की रकबा 1.1600 हैक्टर वाके ग्राम अरनिया, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा में स्थित चली आ रही है। जो अप्रार्थीगण के खाते की है, जिसमे से खसरा नम्बर 148 की रकबा 1.16 हैक्टर पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थी एवम अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 6 का 1/2 हिस्सा निहित चला आ रहा है। साथ ही अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 6 में पूर्व में पैतृक सम्पत्ति में से अपने कब्जे काश्त की आराजी होने के कारण 7 बीघा भूमि जोकि ग्राम अरनिया, जिला कोटा में नहर के पास स्थित चली आ रही थी, को किसी दीगर व्यक्ति को बेचान की जा चुकी हैं। उपरोक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थी एवम अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 6 एवम अप्रार्थी क्रम 7 का 1/2 हिस्सा निहित चला आ रहा है।

- हाल खसरा नम्बर 63 की रकबा 0.39 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 6 के बीच में इकरारनामा दिनांक 06.07.2000 को एक मेमोरेण्डम आपसी सहमति से निष्पादित हुआ था। जिसमें खसरा नम्बर 63 की रकबा 0.39 हैक्टर में से प्रार्थी के हिस्से में 0.24 हैक्टर आराजी आती है, जिसका प्रार्थी के पक्ष मे निहित करने के लिये प्रार्थी एवम अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से दिनांक 06.07.2000 को लिखा गया था, परंतु उक्त लिखा पढ़ी के बावजूद भी अप्रार्थी गण ने प्रार्थी के खाते में उक्त आराजी की खातेदारी दर्ज नहीं करवाई जबकी प्रार्थी का उक्त आराजी पर अपने पिता के जीवनकाल से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है।
- सहवन से प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 63 की रकबा 0.39 हैक्टर में से 0.24 हैक्टर आराजी प्रार्थी के खाते दर्ज की जानी थी, जिसके लिये अप्रार्थी एवम उसके पिता ने प्रार्थी को विश्वास दिलाया था और यह आश्वासन दिया था कि वह शीघ्र ही 0.2400 हैक्टर आराजी को आपसी सहमति से तथा बंटवारा नामा की शर्त के अनुसार प्रार्थी के खाते दर्ज करवा देगा परंतु अप्रार्थीगण के मन में बदनियती आ चुकी है। उक्त आराजी मोके की आराजी है तथा वर्तमान में सम्पत्ति की बाजारू कीमतों में वृद्वि हो जाने के कारण अप्रार्थी गण के मन में लालच आ गया है, इस वजह से अप्रार्थीगण, प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी 0.2400 हैक्टर को प्रार्थी के खाते में दर्ज नही करवाना चाहते है तथा जबरन उस पर कब्जा करना चाहते है, जिसका अप्रार्थी गण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी पैतृक आराजी है, प्रार्थी एवम अप्रार्थीगण को पूर्वजों से प्राप्त हुयी है। जिसकी प्रत्येक भूमि पर प्रार्थी एवम अप्रार्थीगण समान रूप से हक हिस्सा निहित है। अप्रार्थीगण पूर्व में ही अपने हिस्से की आराजी में से 7 बीघा भूमि बेचान कर चुके है इसलिये अप्रार्थी गण के खाते में पैतृक सम्पत्ति की आयी हुई भूमि कम हो गयी है, परंतु अप्रार्थी गण संख्या में अधिक हैं एवम आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है। तथा गांव में आये दिन प्रार्थी से लडाई झगड़ा करते रहते है।
- अप्रार्थीगण माह अप्रेल 2020 के अंतिम सप्ताह में सभी अप्रार्थीगण एवम उनके परिवार के सदस्य एक राय होकर तथा लकड़िया एवम हथियार लेकर प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 63 की रकबा 0.39 हैक्टर की प्रार्थी के हिस्से की 0.2400 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी के द्वारा काश्त करने से रोकने तथा उन्हें जान माल से मारने की धमकी देने एवम भविष्य में उक्त आराजी पर कब्जा करने के संबंध में एक रिपोर्ट श्रीमान थानाधिकारी महोदय, पुलिस थाना कैथून एवम एक परिवाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, कोटा ग्रामीण, कोटा को प्रेषित किया जा चुका है जिन पर अप्रार्थीगण के विरूद्व कोई भी कानूनी कार्यवाही नही की गयी। अप्रार्थीगण बार-बार

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

सम्पत्ति की खरीद फरोख्त करने वाल व्यक्तियों से मिल रहे है तथा रिकोर्ड में नाम होने के आधार पर उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा है। उक्त आराजी मेनरोड़ की मूलवान आराजी है, उक्त आराजी का बेचान हो जाने के पश्चात प्रार्थी के साम्पत्तिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा तथा उसे अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुयी पैतृक आराजी से वंचित होना पड़ेगा।

- अप्रार्थी ने कहा कि हम उक्त आराजी का बेचान करना चाहते है और कानून रूप से बंटवारा एवम खाते दर्ज करवाने के लिये कहने पर मना कर दिया, इसलिये प्रार्थी के कब्जे काश्त की हिस्से की आराजी का मीटस एंड बाउडस से बंटवारा एवम पैमाइश करवाई जाकर उक्त आराजी में से 0.24 हैक्टर की भूमि प्रार्थी एवम अप्रार्थीगण के मध्य अलग अलग खाते दर्ज की जावें।
- वाद वर्णित उक्त कृषि आराजियात प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 6 की सहदायकी कृषि भूमि है, अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 6 अकेले का उक्त कृषि आराजियात के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नाम मात्र दिखावटी है। जिससे अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 6 को प्रार्थी के जन्म से प्राप्त कानून सम्मत हक व अधिकारों के विरुद्ध उक्त कृषि आराजियात को बेचान व खुर्द–बुर्द करने, प्रार्थी को उनके कानून सम्मत हक व हिस्से से वंचित करने व कब्जे काश्त में दखलंदाजी कर हक हिस्से से बेदखल करने का कोई भी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है।
- यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या केस है और सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। यदि प्रतिपक्षीगण अपने उक्त अवैध व अनाधिकृत कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में नहीं हो सकेगी।
- अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि कृषि आराजी खसरा नम्बर 63 रकबा 0.39 हैक्टर में से 0.24 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 148 रकबा 1.16 हैक्टर व खसरा नम्बर 148/409 रकबा 1.16 हैक्टर वाके ग्राम अरलिया के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में प्रतिपक्षीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। आराजी को बेचान, रहन, दान इत्यादि करते हुये खुर्द बुर्द नहीं करें।

3. उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्रों पर उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रत्येक अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये प्रकरण के प्रथम दृष्ट्या होने तथा सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु पक्ष में होने के आधार पर प्रतिपक्षी के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है। प्रथम प्रकरण में प्रार्थीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 63 की 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 148/409 की 1.16 हैक्टर, कुल 2 किता की 1.55 हैक्टर के अभिलिखित काश्तकार खातेदार है। जिससे यह उनका प्रथम दृष्ट्या मामला है। द्वितीय प्रकरण के प्रार्थी विवादित आराजी के पैतृक होने के आधार पर विभाजन करवाने तथा खसरा नम्बर 63 में से अपना पृथक हिस्सा चाहते है। प्रथम प्रकरण में जहॉ पैतृक आराजी के पूर्व विभाजन के आधार पर खाते अलग हो जाने का उल्लेख है वहीं दूसरे प्रकरण में पैतृक भूमि के विभाजन के आधार पर हिस्सा चाहा गया है। विवादित आराजी के सम्बन्ध में सुनी गई बहस के कथनों पर मनन करने और दोनों पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन करने के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि यह तो सही है कि विवादित आराजी पूर्व में पैतृक आराजी ही थी परन्तु वर्तमान में उक्त आराजी अलग अलग खातेदारान के खाते दर्ज है। विवादित आराजी का कभी कोई विभाजन हुआ अथवा नहीं हुआ, इसका निर्णय मूल वाद के निस्तारण के बाद ही हो पायेगा। मूल वाद में तनकीयात कायम होने

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पर साक्ष्य आदि के आधार पर विवादित आराजी के अधिकार का निर्धारण संभव है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर ताफैसला वाद ग्राम अरनिया, पटवार हल्का गोदल्याहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को विवादित आराजी खसरा नम्बर 63 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 148 रकबा 1.16 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 148/409 रकबा 1.16 हैक्टर के मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। प्रकरण के मूल वाद का निस्तारण होने तक पक्षकारान उपरोक्त विवादित आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण आदि किसी भी तरीके से खुर्द बुर्द करने का प्रयास नहीं करे। कब्जे काश्त में अनावश्यक मजाहमत व मदालखत नहीं करे।

6. निर्णय आज दिनांक 04 नवम्बर, 2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर कोटा

(मोहम्मद ताहिर) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर, कोटा
(मुख्यालय) कोटा